

निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 39 / प्रा0पत्र / 18

राज0सरकार जर्जे प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग झालावाड़
बनाम

घनश्याम / किशनलाल

चाय कचोरी की दुकान, कुण्डला रोड़, बस स्टेण्ड चौमहला तहसील गंगधार

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त 01
घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:- पेरोकार रसद

:- निर्णय :-

दिनांक: 28.03.2018


यह प्रा0पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिये दिनांक 13.03.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय झालावाड़ जांच हेतु विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, वक्त जांच दुकान पर घनश्याम उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक बताया। उस वक्त दुकान पर चाय, कचोरी बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं उपभोक्ताओं से सामग्री का मूल्य वसूल किया जा रहा था। वक्त जांच दुकान की तलाशी लेने पर दुकान पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 चूल्हे/भट्टी से जुड़ा चालू हालत में व्यावसायिक उपयोग में लेता पाया गया। दुकान पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग पाये जाने पर मौके पर मिले सिलेण्डर को बतौर सबूत सीज किया जाकर मेसर्स नीमा एचपी गैस सर्विस गंगधार के मेनेजर पंकज नीमा की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि उक्त द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करके एलपीजी लिक्वफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3(1) (सी) व 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत सीजशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी को स्वयं को नोटिस की तामील होने पर भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी का पक्ष नहीं सुना जा सका।

बहस सुनी गई। पेरोकार रसद द्वारा दौरान बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था जो एलपीजी लिक्वफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3(1) (सी) व 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत सीजशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार द्वारा अपने प्रा0पत्र में अंकित किया गया है कि वक्त जांच मौके पर दुकान की तलाशी लेने पर दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 के चूल्हे से जुड़े हुआ चालू हालत में व्यावसायिक उपयोग करते पाया जाने पर सीज किया गया है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया है। अप्रार्थी के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना उचित नहीं है। हमारी राय में प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 01 गैस सिलेण्डर एचपीसीएल क0 न0 384492 को राजसात किया जाता है-जिला रसद अधिकारी उक्त राजसात सिलेण्डर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 28.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़